Title: Demand to implement the notifications relating to reservation facilities for SC&ST in recruitments and job promotions and also to start recruitment drive to fill up vacant posts.

श्री थावरचन्द गेहलोत : अध्यक्ष महोदय, 1997 में तत्कालीन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तारतम्य में देश भर के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को जो आरक्षण की सुविधा उपलब्ध थी, उस पर रोक लगा दी। इसी प्रकार से प्रमोशन में भी रोक लगा दीâ€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बूटा सिंह जी मैंने कहा है कि आपका नोटिस लिस्ट में नहीं है, दस बजे के बाद आया है, फिर भी हम आपको मौका देंगे।

श्री थावरचन्द गेहलोत : तत्कालीन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तारतम्य में सारे देश में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को नौकरी में जो आरक्षण दिया गया था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी प्रकार जो प्रमोशन में भी आरक्षण की सुविधा इन लोगों को थी, उस पर भी रोक लगा दी।â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ध्यानार्काण प्रस्ताव नहीं है, उसको मैंने एडमिट नहीं किया। उसका एक प्रोसीजर होता है।

श्री थावरचन्द गेहलोत : वर्तमान सरकार ने पिछले सत्र में विधेयक पारित करके जो रोक लगाई गई थी, वापस आरक्षण की सुविधा को बहाल करने का काम किया और संविधान में संशोधन किया। इस सम्बन्ध में नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, किंतु आज तक उस पर अमल नहीं हो रहा है। हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि तत्कालीन सरकार ने जो रोक लगाई थी, वर्तमान सरकार उस रोक को हटाकर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को आरक्षण की सुविधा दे। पिछले पांच वार्ों से जो भर्ती पर रोक लगी हुई है, उसके कारण लगभग 75 प्रतिशत से ज्यादा स्थान रिक्त पड़े हैं। इसलिए विशेा भर्ती अभियान चलाकर उन पदों को भरा जाए।â€¦(व्यवधान)मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि

* Not Recorded.

उसने इस सम्बन्ध में विधेयक पारिक किया और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। लेकिन भर्ती करने की कार्यवाही शीघ्र की जाए। सरकार इस सम्बन्ध में हमें आश वासन दे कि वह कितने समय में विशेा भर्ती अभियान चलाएगी और रिक्त पड़े स्थानों को भरने का काम करेगी।

SHRI RATILAL KALIDAS VARMA (DHANDHUKA): Sir, we associate ourselves with hon. Member Shri Thawar Chand Gehlot.

MR. SPEAKER: Those hon. Members who have given notices on the same subject can also associate themselves with Shri Thawar Chand Gehlot.

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, सबसे पहले मुझे खेद है किâ€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बूटा सिंह जी, यह ठीक नहीं है। आप सीनियर मेम्बर हैं। आपका नोटिस नहीं है।

â€¦(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह अध्यक्ष जी, हमने कॉलिंग अटेंशन का नोटिस दिया था।â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि आपको सबसे पहले बुलाएंगे और आपने आते ही हमें बुलाया।â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने आपका कॉलिंग अटेंशन एडमिट नहीं किया। आप ऐसे कैसे बोल रेह हैं?

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने आपको यह बताने के लिए बुलाया कि आपका नोटिस नहीं है।

â€¦(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप सबसे ज्यादा दलितों और मजदूरों के सक्षम नेता हैं। आप जानते हैं कि दलितों और आदिवासियों की रिजर्वेशन नीति काâ€¦(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष जी, मेरा भी नोटिस है। प्रवीण राट्रपाल जी का भी नोटिस है।â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing should go on record, except Shri Buta Singh's speech.

(Interruptions) ...(Not recorded)

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वैकवर्ड क्लासेज और आदिवासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जो आरक्षण की नीति हमारे देश में चल रही थी,â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing should go on record, except Shri Buta Singh's speech.

*(Interruptions)**

** Not Recorded.*

सरदार बूटा सिंह : वह आरक्षण की नीति 1997 में भारत सरकार के पांच ऑफिशियल मेमोरेंडम की वजह से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तब से पूरा सदन, सभी पार्टीज और सभी माननीय सदस्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग एक स्वर होकर, एकमत होकर सदन में बराबर इस बात को बोलते रहे हैं कि भारत सरकार को वे पांच ऑफिशियल मेमोरेंडम वापस लेने चाहिए और हमें खुशी थी कि इसी सदन में माननीय प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन देकर कांस्टीट्यूशन में दो अमेंडेंट की लेकिन वे दोनों अमेंडमेंट्स डीओपीटी की तरफ से सभी विभागों को अभी तक नहीं भेजे गये हैं। बहुत से विभाग ऐसे हैं जहां के सरकारी कर्मचारी सैकड़ों हजारों की तादाद में हमारे पास आते हैं और शिकायत करते हैं कि जो अमेंडमेट हुए हैं, उनके ऊपर कोई इम्पलीमेंटेशन नहीं हो रहा है।â€¦(व्यवधान)जो दो अमेंडमेंट हुए हैं, उनके ऊपर अभी तक इम्पलीमेंटेशन बाकी है। इसमें हम सब एकमत थे। इस तरफ के सभी माननीय सदस्य और उस तरफ के सभी माननीय सदस्य इस बारे में एक स्वर होकर इस बात को कहते रहे हैं कि भारत सरकार को वे पांच ऑफिशियल मेमोरेंडम वापस लेने चाहिए। ऑल इंडिया रिजर्वेशन एक्ट जो है, सुशील शिंदे जी, राट्रपाल जी, वर्मा जी और हमारे दूसरे साथियों ने जो नोटिस इस संबंध में दिया हुआ है, इस सदन मे इसे पेश करके ऑल इंडिया एक्ट फॉर रिजर्वेशन बनना चाहिए जिसमें एससीएसटी और बैकवर्ड क्लासेज के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। यही बाकी नहीं है, पूरे देश में राज्य सरकारों में रिजर्वेशन की नीति खत्म हो चुकी है। सभी राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के तथाकथित फैसले के नीचे आदिवासियों और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों कोâ€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: I am calling the names of those Members who have given notices.

â€¦(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह :अध्यक्ष जी, यह तो मुझे पूरे प्वाइंट्स कहने पड़ेंगे क्योंकि यह मसला बहुत गंभीर है। â€¦(व्यवधान)यह भी मांग की जा रही है कि जितनी पब्लिक अंडरटेकिंग्स को सरकार रात-दिन प्राइवेटाइज करती चली जा रही है और जिनमें करोड़ों अरबों रुपया भारत सरकार का लगा हुआ है, उनमें भी आरक्षण नीति होनी चाहिए ताकि प्राइवेट सैक्टर में जो भारत सरकार का पैसा लगा हुआ है, उनमें भी आरक्षण होना चाहिए। 12 दिसम्बर को कंफैडरेशन ऑफ ऑल इंडिया एससीएसटी एम्पलॉईज की एक महा रैली हुई थी जिसमें लाखों लोग आये।

जिन्होंने जुडिशियरी में रिजर्वेशन के बारे में प्रस्ताव पारित करके मांग की है कि जुडिशियरी में रिजर्वेशन होना चाहिए । सरकार ने बाबासाहिब अम्बेडकर फाउन्डेशन बन्द कर दिया, वह फाउन्डेशन चालू करना चाहिए। सरकार ने नेशनल सफाई मजदूर कमीशन बन्द कर दिया, उसको भी चालू करना चाहिए। इन मुद्दों के ऊपर हमारा एससी एसटी एमपीज फोरम है, इसकी मीटिंग गुई है। इस फोरम में भी प्रस्ताव पारित हुआ है â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बूटा सिंह जी, अब आप समाप्त कीजिए।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, अगर आप हमें बोलने के लिए मौका नहीं देंगे, तो हमें सदन के बाहर कार्यवाही करनी पड़ेगी।

MR.SPEAKER: Please understand that there are other notices also.

...(*Interruptions*)

सरदार बूटा सिंह : हमारे फोरम में सबकी राय है कि इस पर अमल होना चाहिए। पांचों मैमोरेंडम वापिस होने चाहिए। जुडिशियरी में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। इस बारे में राज्य सरकारों को भी लिखा जाना चाहिए, ताकि वे रिजर्वेशन बन्द न करें। â€¦(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, हम भी इस का समर्थन करना चाहते हैं। â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Now, the hon. Minister is giving a reply.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri Athvale, please take your seat.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: That is not his seat. That is why he is not taking his seat!

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): Sir, we, on behalf of the AIADMK Party, associate ourselves with the sentiments expressed by the hon. Members, Shri Buta Singh.

MR. SPEAKER: Even for associating yourself you must give a notice.

SHRI P.H. PANDIYAN : Sir, these matters reache different proportions in the House. One cannot anticipate these things.

*m05

श्री प्रमोद महाजन अध्यक्ष महोदय, श्री थावर चन्द गहलोत और अन्य सभी माननीय सदस्यों ने एक ऐसा विाय उठाया है, जिसके बारे में मैं समझता हूं कि पूरा सदन सहमत होगा। इसलिए जो माननीय सदस्य बोले हैं, वे भी इसके साथ सहमत हैं â€¦(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : जो बोले हैं, उनके नाम नहीं लिए जा सकते हैं ? â€¦(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : जो माननीय सदस्य बोले हैं, उनमें बूटा सिंह जी, सुशील कुमार शिन्दे जी, आठवले जी, जगन्नाथ जी और इधर से भी माननीय सदस्य बोले हैं â€¦(व्यवधान)

SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE : नाम मत लीजिए, लेकिन काम करिए।

Mr. Minister, the whole House is with you in this matterâ€¦ (*Interruptions*) This issue has been going on for many years nowâ€¦ (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : आप भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है।

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, बाहर सब प्राइवटाइजेशन हो रहा है। जीआरएस योजना सरकार की शुरू हो रही है। â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Member, please take your seat. The Minister is giving a reply.

श्री प्रमोद महाजन : मैं नाम न लूं, तो बूटा सिंह जी को आपत्ति है और नाम लेता हूं, तो शिन्दे जी को आपत्ति है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इसमें क्या करूं । इसलिए मैंने एक नाम लिया था। मैं कहा कि सदन के केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य ही नहीं, बाकी जो सदस्य बैठे हैं, वे सभी इस बात से सहमत हैं कि आरक्षण नीति कागज पर बहुत अच्छी दिखाई देती है, लेकिन उसके कार्यान्वयन में हमेशा कोई-न-कोई त्रुटि रही है और उस त्रुटि की पूर्ति करने का हम सबको प्रयास करना चाहिए।

सरदार बूटा सिंह : रिजर्वेशन एक्ट लाइए ।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, बूटा सिंह जी ने शुरू में ठीक कहा, 1997 में जो पांच शासकीय अधिसूचनायें निकलीं थी, उसके कारण आरक्षण नीति में बाधायें आईं। आप सबके सहयोग से, जिसमें आप सभी ने सहयोग किया, संविधान में संशोदन भी किया गया। उसके कारण आरक्षण में जो रोक लगी थी, उसको हटाया गया। पदोन्नति में जो रोक लगी थी, वह भी हट गई और कानूनी काम-काज पूरा हुआ। इससे संबंधित जो अधिसूचना निकलनी थी, वह भी सरकार ने निकाली। यह जरूर शिकायत है और उस शिकायत में स्वाभाविक रूप से वजन होगा। â€¦(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : अधिसूचना राज्य सरकारों को नहीं गई।

श्री प्रमोद महाजन : मैंने जितना कहा है, उतना तो ठीक है â€¦(व्यवधान)अधिसूचना निकाली है, लेकिन इस पर सदस्यों को शिकायत है। इसके बाद केन्द्रीय सरकार के स्तर पर जो कार्यान्वयन होना चाहिए, राज्य सरकारों के स्तर पर, विभिन्न मंत्रालयों के स्तर पर, जो संसद ने निर्णय लिया है, सरकार ने निर्णय लिया है, उस निर्णय के अनुसार काम करें।

इस क्रियान्वयन में कार्मिक विभाग हो या अन्य राज्य सरकारें हो, इसमें किसी न किसी प्रकार की कमी और त्रुटि है। आप सब ने जो बात कही है, उससे मैं भी अपने आपको जोड़ता हूं।â€¦(व्यवधान)

आपने दूसरी बात यह भी ठीक कही है कि जब हम निजीकरण में जाते हैं तो सरकारीकरण में, चूंकि आरक्षण सरकारीकरण में लागू होता है और जैसे ही कोई व्यवसाय सरकारीकरण से निजीकरण में जाता है तो आरक्षण की नीति स्वाभाविक रूप से उस पर लागू नहीं होती है, इससे भी कुछ समस्याएं निर्मित हो रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए जो उद्योग के अवसर थे, वे उद्योग भी अपने आप में थोड़े कम हो रहे हैं। इस पर भी स्वाभाविक रूप से सदन, सरकार और हम सब को ध्यान देना पड़ेगा। आपने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, सबसे पहले मैं उनसे अपने आपको जोड़ता हूं। मैं समझता हूं कि यहां किसी दल का संबंध नहीं है, हम सब लोग, केवल अनुसूचित जाति, जनजाति के नहीं, बाकी लोग भी इसमें जोड़ता हूं। सदन ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं प्रधानमंत्री जी को उनसे अवगत कराऊंगा।

सरकार यह पूरा प्रयास करेगी कि केन्द्र सरकार के स्तर पर आरक्षण नीति का ढंग से क्रियान्वयन हो। अगर राज्य सरकारों तक आदेश न गया हो तो वह तुरंत उन तक जाए, इस प्रकार का भी प्रयास किया जाएगा।â€¦(व्यवधान)

*m06

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, स्पेशन ड्राइव, एम्प्लायमेंट के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एश्योरेंस दिया था, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। आपने में प्राइवेट एंटरप्राईजिज में रेजरवेशन देने का आश्वासन दिया है। आपने मेरा बिल प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड नहीं किया, वह डिसकस नहीं हुआ। मैं सरकार को धन्यवाद इसलिए देता हूं, क्योंकि आप समझ गए हैं, लेकिन आप स्पेशल ड्राइव के बारे में कह दीजिए।

श्री प्रमोद महाजन : मैं इस विाय के बारे में भी प्रधानमंत्री जी को कह दूंगा।